

प्रेषक,

मुकुल सिंहल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक: 07 फरवरी, 2020

विषय:- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए लागू आरक्षण व्यवस्था हेतु प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/4/1/2002/का-2/19टी0सी-11, दिनांक 18.02.2019 द्वारा राज्य सरकार की सरकारी सेवाओं की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर नियुक्ति के लिए आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे व्यक्तियों जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं है तथा उत्तर प्रदेश राज्य के ही मूल निवासी है, को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जाने हेतु आदेश निर्गत किये गये है। उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 18-02-2019 के प्रस्तर-4 के उप प्रस्तर-ख (iii) में दी गयी व्यवस्था के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए लागू आरक्षण व्यवस्था हेतु कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2019/4/1/2002/का-2/19 टी0सी-11, दिनांक 14 मार्च, 2019 द्वारा आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र का प्रपत्र निर्धारित किया गया है। शासन के संज्ञान में आया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की कतिपय जातियाँ जो उत्तर प्रदेश राज्य में अन्य पिछड़े वर्ग में चिन्हित है, जबकि भारत सरकार में सामान्य वर्ग में चिन्हित है, को भारत सरकार की सेवाओं और पदों हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए प्रमाण-पत्र नहीं बनाया जा रहा है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की वह जातियाँ जो उत्तर प्रदेश राज्य में अन्य पिछड़े वर्ग में चिन्हित हैं किन्तु भारत सरकार में सामान्य वर्ग में चिन्हित है और भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित मानक/शर्तों को पूरी करती हैं, के लिए भारत सरकार की सेवाओं के लिए निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र बनाये जाने हेतु जिला स्तर के सक्षम अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें। यदि कोई कठिनाई हो तो इस सम्बन्ध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) भारत सरकार से स्थिति तुरन्त स्पष्ट करा लें।

संलग्नक- प्रपत्र।

भवदीय,
मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-1/2020/4(1)/1/2002/का-2/2019टी0सी-1, तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
7. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
8. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
9. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ को 200 प्रतियाँ मुद्रित कराकर कार्मिक अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने हेतु ।
10. वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
अरविन्द मोहन चित्रांशी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

केन्द्रीय सरकार की सेवाओं के लिए मान्य प्रपत्र (उ०प्र० सरकार की सेवाओं के लिए मान्य नहीं)

Government of
(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSETS CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No.
Date:.....

VALID FOR THE YEAR

This is to certify that Shri/Smt./Kumari son/daughter/wife of permanent resident of Village/Street Post Office District in the State/Union Territory Pin Code whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her 'family** is below Rs. 8 lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year His/her family does not own or possess any of the following assets*** :

- I. 5 acres of agricultural land and above;
- II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
- III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
- IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari belongs to the caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List)

Signature with seal of Office

Name

Designation

Recent Passport size
attested photograph of
the applicant

***Note1:** Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

****Note 2:** The term 'Family' for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 15 years

*****Note 3:** The property held by a 'Family' in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।